

“अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देश
और
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानक (एएमएल) नीति”

इंद्रेश फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईएफएसपीएल) को निवेश और ऋण कंपनी (आईसीसी) श्रेणी के तहत एनबीएफसी-एनडी के रूप में पंजीकृत किया गया



स्थिति

संस्करण	अनुमोदन तिथि	द्वारा संशोधित	संशोधन विवरण
1.0	24 दिसंबर, 2024	ना	नीति को अपनाना

अंतर्वस्तु

अध्याय I - प्रस्तावना	3
अध्याय II - उद्देश्य	3
अध्याय III - प्रयोज्यता और दायरा	3
अध्याय IV - परिभाषाएँ	4
अध्याय V -- सूची का दस्तावेजों	8
(A) व्यक्ति	8
(C) साझेदारी/एलएलपी	9
(D) कंपनी	9
(E) ट्रस्ट/सोसायटी	10
अध्याय VI - पहचान का लाभकारी मालिक	11
अध्याय VII - संबंध सबूत	11
अध्याय VIII - ग्राहक स्वीकार नीति ("सीएपी")	12
अध्याय IX - ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं ("सीआईपी")	12
अध्याय X - जोखिम प्रबंध	13
अध्याय XI - निगरानी का लेनदेन	15
अध्याय XII -- जारी देय परिश्रम	15
अध्याय XIII - आवधिक अपडेशन	15
अध्याय XIV - आंतरिक नियंत्रण सिस्टम/सॉफ्टवेयर	15
अध्याय XV -- अभिलेख रखते हुए	16
अध्याय XVI - रिपोर्टिंग पर फिननेट पोर्टल और रिपोर्टिंग को वित्तीय बुद्धिमत्ता इकाई -भारत रिपोर्टिंग पर फिननेट पोर्टल	16
अध्याय XVII - रिपोर्टिंग को वित्तीय बुद्धिमत्ता इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी)	16
अध्याय XVIII - केन्द्रीय जानना आपका ग्राहक रजिस्ट्री	17
अध्याय XIX - के.वाई.सी. में मामला का टॉप-अप/नवीनीकरण	17
अध्याय XX - स्व-सत्यापन मानदंड	17
अध्याय XXI -- OSV मानदंड	17
अध्याय XXII - नियुक्ति का कर्मचारी और कर्मचारी प्रशिक्षण	17
अध्याय XXIII - अन्य आवश्यकताएं:	18
अध्याय XXIV - विचलन	18
अध्याय XXV - बेजोड़ता	18
अध्याय XXVI -- नीति की समीक्षा	18
अध्याय XXVII - प्रभावी तिथि	18

अध्याय I - प्रस्तावना

इंद्रेष फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("आईएफएसपीएल" या "कंपनी") 27 सितंबर, 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के साथ एक गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ("एनबीएफसी - एनडी") के रूप में पंजीकृत है, जिसका एनबीएफसी पंजीकरण नंबर एन-14.03630 है। आईएफएसपीएल को मुख्य रूप से व्यक्तियों, स्वामियों, भागीदारी, निजी/सार्वजनिक कंपनियों आदि को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न होने के लिए शामिल किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ["आरबीआई"] ने अपने ग्राहक को जानने (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 ["केवाईसी मास्टर निर्देश"] जारी किए हैं, जिनका संदर्भ डीबीआर.एएमएल.बीसी. संख्या 81/14.01.001/2015-16 दिनांक 25 फरवरी 2016 है, (अंतिम बार 6 नवंबर, 2024 को अपडेट किया गया) जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। उक्त निर्देश कंपनी पर लागू हैं, जो ग्राहक इंटरफ़ेस वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। दिशा-निर्देश मुख्य रूप से केवाईसी प्रक्रियाओं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ["एएमएल"] मानकों, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून ["पीएमएलए"] के तहत विनियमों और एएमएल मानकों पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ["एफएटीएफ"] की सिफारिशों से जुड़े जोखिमों को संबोधित करते हैं। उसी के मद्देनजर, आईएफएसपीएल ने केवाईसी और पीएमएलए नीति [यह "नीति"] तैयार की है, जो केवाईसी निर्देशों और पीएमएलए के तहत आरबीआई द्वारा निर्धारित नीति ढांचे पर आधारित है, साथ ही कंपनी के संचालन के जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर उपयुक्त सख्त संशोधन भी किए गए हैं।

अध्याय II – उद्देश्य

यह नीति है गया फंसाया के लिए को प्राप्त अगले उद्देश्य:

- कंपनी को अपने ग्राहकों को जानने और समझने तथा बेहतर तरीके से वित्तीय लेन-देन करने में सक्षम बनाना, जिससे जोखिमों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इसमें ग्राहक की पहचान के लिए एक प्रभावी प्रणाली और प्रक्रिया लागू करना और उसकी पहचान, आवासीय पता सत्यापित करना तथा प्रत्येक ग्राहक से जुड़े जोखिम कारकों के आधार पर ग्राहक उचित परिश्रम ("सीडीडी") करना शामिल है;
- लागू कानूनों/नियमों/विनियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए उचित, प्रभावी और कुशल नियंत्रण स्थापित करना।
- प्रत्येक ग्राहक से जुड़े जोखिम कारकों का आकलन और निगरानी करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करना और ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन या वितरण चैनलों आदि के लिए धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए पहचान, आकलन और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'धन शोधन ("एमएल") और आतंकवादी वित्तपोषण ("टीएफ") जोखिम आकलन' अभ्यास करना ;
- संदिग्ध प्रकृति के लेनदेन की निगरानी करना और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ("एफआईयू-आईएनडी") को इसकी रिपोर्ट करना; पीएमएलए और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्राहकों के लेनदेन के रिकॉर्ड का सत्यापन और रखरखाव करना;
- केवाईसी/पीएमएलए पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अगले चाबी तत्वों रूप एक अभिन्न भाग का नीति:

- ग्राहक स्वीकार नीति
- ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं
- जोखिम प्रबंध
- निगरानी का लेनदेन

अध्याय III - प्रयोज्यता और दायरा

- यह नीति कंपनी की ओर से ग्राहकों के साथ व्यवहार करने वाले सभी कर्मचारियों/व्यक्तियों पर संगठन-व्यापी रूप से लागू होगी।

- वरिष्ठ प्रबंधन, नामित निदेशक और प्रधान अधिकारी की सहायता से इस नीति, आरबीआई के निर्देशों, पीएमएलए और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा और अनुपालन कार्य, वरिष्ठ प्रबंधन के निर्देशों के तहत केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन और अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- इस नीति को आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिचालन दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस नीति की विषय-वस्तु को हमेशा आरबीआई द्वारा बताए गए परिवर्तनों/संशोधनों के साथ तालमेल में/स्वतः सुधार कर पढ़ा जाना चाहिए। और/या द्वारा पीएमएलए और संशोधन का केवाईसी मालिक दिशा-निर्देश, से समय को समय।

अध्याय IV - परिभाषाएँ

“**आधार संख्या**” का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में दिया गया है;

“**अधिनियम**” और “**नियम**” से तात्पर्य क्रमशः धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 तथा उसके संशोधनों से है।

आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में, “**प्रमाणीकरण**” का तात्पर्य आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (सी) के तहत परिभाषित प्रक्रिया से है।

“ **लाभकारी स्वामी (बीओ) ”**

प्रकार का ग्राहक	व्यक्तियों को होना माना लाभकारी मालिकों
ए) में मामला का कंपनी	<p>लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या किसी अन्य तरीके से कार्य करता है। एक साथ, या के माध्यम से एक या अधिक कानूनी व्यक्ति, है/हैं ए को नियंत्रित करना स्वामित्व दिलचस्पी या कौन व्यायाम नियंत्रण के माध्यम से अन्य मतलब।</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>a. को नियंत्रित करना स्वामित्व दिलचस्पी – से अधिक का स्वामित्व/अधिकारिता 10% का शेयरों या पूंजी या मुनाफे का कंपनी;</p> <p>b. नियंत्रण में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करना, जिसमें उनके आधार पर शामिल है शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते.</p>
बी) में मामला का साझेदारीअटल	<p>लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या किसी अन्य तरीके से कार्य करता है। एक साथ, या के माध्यम से एक या अधिक कानूनी व्यक्ति, है/ पास होना स्वामित्व का/हकदारी को अधिक बजाय 10 % पूंजी या मुनाफे का साझेदारी.</p> <p>स्पष्टीकरण</p> <p>a. इस उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए, “नियंत्रण” में प्रबंधन या नीति निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।</p>

<p>सी) अनिगमित के मामले में संगठन या शरीर का व्यक्तियों या समाज.</p>	<p>लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या किसी अन्य तरीके से कार्य करता है। एक साथ, या के माध्यम से एक या अधिक कानूनी व्यक्ति, है/ पास होना स्वामित्व संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15% से अधिक का हक/अधिकार अनिगमित संगठन या शरीर का व्यक्तियों.</p> <p>स्पष्टीकरण:</p> <p>a. 'व्यक्तियों का समूह' शब्द में समाज भी शामिल है।</p> <p>b. जहां ऊपर (ए), (बी) या (सी) के तहत किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है</p>
<p>डी) में मामला ग्राहक है विश्वास ।</p>	<p>लाभकारी स्वामी(ओं) की पहचान में लेखक की पहचान शामिल होगी ट्रस्ट, ट्रस्टी, 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले लाभार्थियों का ट्रस्ट और कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति जो अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है विश्वास के माध्यम से ए जंजीर का नियंत्रण या स्वामित्व.</p>

"प्रमाणित प्रतिलिपि" का अर्थ है आधार संख्या के कब्जे के प्रमाण की प्रतिलिपि की तुलना करना जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किया गया आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज मूल और रिकॉर्डिंग के साथ नहीं किया जा सकता है वही पर कॉपी द्वारा अधिकृत अफसर का आईएफएसपीएल जैसा प्रति प्रावधानों निहित में कार्यवाही करना।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 {फेमा 5(आर)} में परिभाषित अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के मामले में, वैकल्पिक रूप से, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है:

- अधिकृत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विदेशी शाखाओं के अधिकारी भारत में पंजीकृत वाणिज्यिक बैंक ,
- शाखाओं का प्रवासी बैंकों साथ किसको भारतीय बैंकों पास होना रिश्ते,
- नोटरी जनता विदेश,
- अदालत मजिस्ट्रेट,
- न्यायाधीश,
- उस देश में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक रहता है।

"केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर): केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्डों का एक केन्द्रीकृत संग्रह है, जिसमें एक समान केवाईसी मानदंड और पूरे क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्डों की अंतर-उपयोगिता है, जिसका उद्देश्य ग्राहक द्वारा किसी वित्तीय इकाई के साथ नए संबंध में प्रवेश करते समय हर बार केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने और उनका सत्यापन कराने के बोझ को कम करना है।

"नामित निदेशक" से आशय पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियमित संस्था द्वारा नामित व्यक्ति से है और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्रबंध निदेशक या ए पूरा समय निदेशक या निदेशक, विधिवत अधिकृत द्वारा तख्ता यदि विनियमित संस्था एक कंपनी है तो निदेशकों की संख्या,
- प्रबंध साथी, अगर दोबारा है ए साझेदारी अटल,
- मालिक, अगर दोबारा है ए स्वामित्व चिंता,
- प्रबंध ट्रस्टी, अगर वहाँ है ए विश्वास,
- ए व्यक्ति या व्यक्ति, जैसा मामला मई होना, कौन को नियंत्रित करता है और का प्रबंध कार्य का आरई, यदि आरई एक असंबद्ध संघ या व्यक्तियों का निकाय है, और

(f) ए व्यक्ति कौन रखती है पद का वरिष्ठ प्रबंध या समकक्ष नामित जैसा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में एक 'नामित निदेशक'।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रबंध निदेशक" और "पूर्णकालिक निदेशक" शब्दों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उन्हें दिया गया है।

"ग्राहक" का अर्थ वह व्यक्ति होगा, जो कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन/गतिविधि में संलग्न है और इसमें शामिल है व्यक्ति पर किसका ओर से व्यक्ति कौन है काम में लगा हुआ में लेन-देन / गतिविधि, है अभिनय.

"ग्राहक उचित परिश्रम (सीडीडी)" का अर्थ है ग्राहक और लाभकारी मालिक की पहचान करना और उसका सत्यापन करना 'आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़' जैसा ए 'सबूत का पहचान' और 'सबूत का पता'।

"ग्राहक पहचान" मतलब उपक्रम प्रक्रिया का सीडीडी।"

"डिजिटल केवाईसी" का अर्थ है ग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ या आधार रखने का प्रमाण लेना, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, साथ ही उस स्थान का अक्षांश और देशांतर भी जहां अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार आरई के अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी लाइव फोटो ली जा रही है।

"डिजिटल हस्ताक्षर" मतलब का कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा ए ग्राहक द्वारा मतलब का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका या प्रक्रिया में अनुसार साथ प्रावधान.

"समतुल्य ई-दस्तावेज़" का अर्थ ऐसे जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य से है। दस्तावेज़ साथ इसका वैध डिजिटल हस्ताक्षर शामिल दस्तावेज़ जारी किए गए को डिजिटल लॉकर खाता का ग्राहक सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना की रोकथाम और अवधारण) अधिनियम, 1962 के नियम 9 के अनुसार डिजिटल लॉकर सुविधाएं, 2016)। डिजी लॉकर प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेज़ मूल के बराबर माने जाते हैं। भौतिक दस्तावेज़ जैसा प्रति नियम 9ए (अधिसूचित) पर फ़रवरी 08, 2017; खबरदार जीएसआर 711 (ई)).

"केवाईसी पहचानकर्ता" मतलब अद्वितीय संख्या या कोड सौंपा गया को ए ग्राहक द्वारा केंद्रीय सीकेवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री

"गैर-आमने-सामने-ग्राहक" मतलब ग्राहकों कौन खुला हिसाब किताब बिना दौरा शाखा कार्यालयों का विनियमित इकाइयां, (दोबारा) या बैठक अधिकारियों का आरईएस.

"आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़" (ओवीडी) इसका अर्थ है और इसमें शामिल हैं:

- i. पासपोर्ट,
- ii. ड्राइविंग लाइसेंस,
- iii. सबूत का कब्ज़ा का आधार संख्या,
- iv. मतदाता पहचान कार्ड जारी किए गए द्वारा चुनाव आयोग का भारत,
- v. काम कार्ड जारी किए गए द्वारा नरेगा विधिवत पर हस्ताक्षर किए द्वारा एक अफसर का राज्य सरकार और
- vi. पत्र जारी किए गए द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण करवाना युक्त विवरण का नाम और पता.
उसे उपलब्ध कराया,

(a) कहाँ ग्राहक प्रविष्टियों पर उसका सबूत का कब्ज़ा का आधार संख्या जैसा यदि कोई व्यक्ति ओवीडी चाहता है, तो वह उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रारूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(b) जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेज़ या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज़ों को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माना जाएगा:-

- (i). किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल जो दो महीने से अधिक पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड गतिमान फोन, पाइप गैस, पानी का बिल आदि);
 - (ii). संपत्ति या म्युनिसिपल कर रसीद;
 - (iii). सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए, यदि उनमें पता शामिल हो;
 - (iv). राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटन पत्र और सूचीबद्ध कंपनियों और उनके साथ छोड़ो और लाइसेंस समझौते ऐसे नियोक्ता जो सरकारी आवास आवंटित करते हैं;
- (c) ग्राहक को उपरोक्त "बी" में निर्दिष्ट दस्तावेज़ जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी जमा करना होगा।
- (d) जहां किसी विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं है, ऐसे मामले में विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ और जारी किए गए पत्र भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

के लिए के उद्देश्य यह खंड, ए दस्तावेज़ माना जाना को होना एक ओवीडी यहां तक की अगर वहाँ होता ए परिवर्तन में नाम बाद का को इसका निर्गमन प्रदान किया यह है का समर्थन किया द्वारा ए राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना, जिसमें नाम में ऐसे परिवर्तन का संकेत हो।

“ऑफ़लाइन सत्यापन ” करेगा पास होना वही अर्थ जैसा सौंपा गया को यह में खंड (पा) का अनुभाग आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के अधीन।

“व्यक्ति ” के लिए प्रयोजनों का यह नीति का अर्थ होगा और शामिल करना:

- एक व्यक्ति
- ए हिन्दू अविभाज्य परिवार
- ए कंपनी
- ए अटल
- एक संगठन का व्यक्तियों / शरीर का व्यक्ति, चाहे इनकॉर्पोरेटड या नहीं
- प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, नहीं गिरना अंदर कोई एक का ऊपर व्यक्तियों
- कोई एजेंसी / कार्यालय / शाखा स्वामित्व / नियंत्रित द्वारा कोई का व्यक्तियों ऊपर

“राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति” वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं, जिनमें राज्य/सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी शामिल हैं।

“वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) ” है तरीका का ग्राहक पहचान द्वारा एक अधिकारी आरई द्वारा उपक्रम निर्बाध, सुरक्षित, असली समय, सहमति आधारित दृश्य-श्रव्य इंटरैक्शन ग्राहक के साथ प्राप्त करने के लिए सीडीडी प्रयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित पहचान संबंधी जानकारी, तथा दावे की सत्यता का पता लगाना ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी। ऐसी प्रक्रिया को ग्राहक की सहमति के बिना ग्राहक के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया के लिए "आमने-सामने" प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा। यह मालिक दिशा। रहना फोटो का ग्राहक और मूल दस्तावेज़ चाहिए होना कब्जा कर लिया में उचित रोशनी इसलिए वह वे हैं स्पष्ट रूप से पठनीय और पहचान

योग्य.

अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि उन्हें यहां परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है अंतर्गत मालिक दिशा - जानना आपका ग्राहक (केवाईसी) निर्देश, 2016, समय-समय पर संशोधित।

अध्याय V -- सूची का दस्तावेजों

इस नीति के प्रयोजनों के लिए आवश्यक दस्तावेजों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है:

(A) व्यक्ति

दस्तावेज़	पहचान सबूत	पता सबूत
<p>ग्राहकों करेगा कम से कम एक सबमिट करें छह आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) जैसा सबूत का पहचान और सबूत का पता (जो बिंदु संख्या # 1 से # 6 तक उल्लिखित हैं)। डिजी लॉकर प्रिंटआउट भी बदले में स्वीकार किए जा सकते हैं फोटोकॉपी का मूल दस्तावेज़3.</p> <p>पैन/फॉर्म 60 और एक फोटो है अनिवार्य के लिए सभी उधारकर्ता.</p>		
1. सबूत का कब्ज़ा का आधार नहीं	उपयुक्त	उपयुक्त
2. प्रतिलिपि का वैध भारतीय पासपोर्ट	उपयुक्त	उपयुक्त
3. प्रतिलिपि का मतदाता पहचान कार्ड जारी किए गए द्वारा चुनाव आयोग का भारत	उपयुक्त	उपयुक्त
4. प्रतिलिपि का काम कार्ड जारी किए गए द्वारा नरेगा विधिवत पर हस्ताक्षर किए द्वारा एक अफसर का राज्य सरकार	उपयुक्त	ना
5. प्रतिलिपि का ड्राइविंग लाइसेंस	उपयुक्त	उपयुक्त
6. पत्र जारी किए गए द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण करवाना (एनपीआर) विवरण युक्त का नाम और पता	उपयुक्त	उपयुक्त
<p>यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेज या समकक्ष ई-दस्तावेज़ उसके करेगा होना मानना को होना ओवीडी के लिए सीमित पते के प्रमाण के रूप में 3 महीने की अवधि, डाक कौन वे इच्छा ज़रूरत को प्रस्तुत कोई का ऊपर उल्लिखित ओवीडी साथ मौजूदा पता।</p>		
7. पत्र का आवंटन का आवास से नियोक्ता जारी किए गए द्वारा राज्य/केंद्र सरकार के विभाग, वैधानिक या नियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, और सूचीबद्ध कंपनियों और छुट्टी और लाइसेंस करार साथ ऐसे नियोक्ता आबंटित आवास।	ना	उपयुक्त
8. पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए को सेवानिवृत्तकर्मचारी द्वारा सरकारी विभाग या जनता क्षेत्र उपक्रम; अगर वे रोकना ये पता।	ना	उपयुक्त
9. नवीनतम उपयोगिता बिल कौन है नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना का कोई सेवा प्रदाता (बिजली, लैंडलाइन, पोस्ट-पेड गतिमान, पाइप गैस, पानी बिल)	ना	उपयुक्त
10. संपत्ति या म्युनिसिपल कर रसीद	ना	उपयुक्त

(B) स्वामित्व

दस्तावेज़	कानूनी अस्तित्व	पता सबूत

	सबूत	
नीचे उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई भी दो अनिवार्य हैं * प्रमाणित प्रतियां (जैसा लागू हो; यदि दस्तावेज प्रमाणित किए जा सकते हैं) मान्य के माध्यम से संबंधित पोर्टल तब स्वयं प्रमाणित प्रतियां मई आवश्यक नहीं होगा) का अनिवार्य दस्तावेज या समतुल्य ई-दस्तावेज उसके करेगा होना प्राप्त किया जैसा सूचीबद्ध नीचे:		
1. पंजीकरण प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त
2. प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी किए गए द्वारा म्युनिसिपल अधिकार अंतर्गत दुकान या स्थापना अधिनियम/एमएसएमई (उद्यम) प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त
3. बिक्री और यह रिटर्न	उपयुक्त	उपयुक्त
4. सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त
5. कार्यालय द्वारा मालिकाना चिंता को जारी की गई आईईसी डीजीएफटी/ लाइसेंस/ प्रमाणपत्र का अभ्यास जारी किए गए में नाम का मालिकाना चिंता द्वारा कोई पेशेवर शरीर इनकॉर्पोरेट अंतर्गत ए कानून	उपयुक्त	उपयुक्त
6. पूरा यह वापस करना में नाम का अकेला मालिक कहाँ फर्म का आय है प्रतिबिंबित विधिवत प्रमाणीकृत या स्वीकार किया द्वारा आयकर अधिकार	उपयुक्त	ना
7. नवीनतम उपयोगिता बिल कौन है नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना का कोई सेवा प्रदाता (बिजली, लैंडलाइन फोन बिल, पानी कर बिल)	ना	उपयुक्त

*मालिकों के लिए दो दस्तावेज अनिवार्य हैं; जैसे जीएसटी प्रमाणपत्र, एमएसएमई प्रमाणपत्र, आईटी रिटर्न आदि। यदि उधारकर्ता दो ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो हम उनमें से केवल एक दस्तावेज को ऋण के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। व्यवसाय/गतिविधि बशर्ते सकारात्मक संपर्क बिंदु का सत्यापन किया जाए और फर्म और व्यवसाय का अस्तित्व हो गतिविधि है सत्यापित से पता का स्वामित्व चिंता।

(C) साझेदारी/एलएलपी

दस्तावेज	कानूनी अस्तित्व सबूत	पता सबूत
प्रमाणित प्रतियां प्रत्येक का अगले दस्तावेज या समकक्ष ई-दस्तावेज उसके करेगा होना प्राप्त किया		
1. पंजीकरण प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त
2. साझेदारी काम	उपयुक्त	उपयुक्त
3. कड़ाही का साझेदारी अटल	उपयुक्त	ना
4. पहचान दस्तावेज अर्थात ओवीडी का व्यक्ति पकड़े वकील को कारोबार-पर इसका ओर से	ना	ना
कोई भी का नीचे उल्लिखित दस्तावेज है अनिवार्य		
5. नवीनतम लैंडलाइन बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
6. नवीनतम बिजली बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
7. नवीनतम पानी बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
8. जीएसटी/एमएसएमई प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त

नोट: यदि कोई व्यक्ति या संस्था फर्म में 15% से अधिक शेयर रखती है तो सभी आवश्यक केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक के लिए वह व्यक्ति या इकाई भी।

(D) कंपनी

दस्तावेज	कानूनी अस्तित्व सबूत	पता सबूत

प्रमाणित प्रतियां का प्रत्येक का अगले दस्तावेज़ या समकक्ष ई-दस्तावेज़ उसके करेगा प्राप्त किया जा सकता है		
1. मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन और संस्था के लेख	उपयुक्त	उपयुक्त
2. प्रमाणपत्र का निगमन	उपयुक्त	उपयुक्त
3. कड़ाही का कंपनी	उपयुक्त	ना
4. निदेशक मंडल का संकल्प और शक्ति प्रतिनिधि मंजूर किया गया को इसका प्रबंधक, अधिकारियों या कर्मचारी को कारोबार- पर इसका ओर से	उपयुक्त	उपयुक्त
5. पहचान दस्तावेज़ अर्थात ओवीडी का व्यक्ति पकड़े वकील को कारोबार- पर इसका ओर से	ना	ना
कोई भी का नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ है अनिवार्य		
5. नवीनतम लैंडलाइन बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
6. नवीनतम बिजली बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
7. नवीनतम पानी बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
8. जीएसटी/एमएसएमई प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त

टिप्पणी: अगर ए व्यक्ति या यदि इकाई लाभकारी स्वामी के रूप में योग्य है तो उस स्थिति में , सभी मांग केवाईसी दस्तावेज़ इच्छा होना आवश्यक के लिए वह व्यक्ति या इकाई भी.

(E) ट्रस्ट/सोसायटी

दस्तावेज़	कानूनी अस्तित्व सबूत	पता सबूत
प्रमाणित प्रतियां का प्रत्येक का अगले दस्तावेज़ या समकक्ष ई-दस्तावेज़ उसके करेगा प्राप्त किया जा सकता है		
1. पंजीकरण प्रमाणपत्र	उपयुक्त	उपयुक्त
2. विश्वास काम	उपयुक्त	उपयुक्त
3. कड़ाही का ट्रस्ट/ सोसाइटी	उपयुक्त	ना
4. ए संकल्प से तख्ता का ट्रस्टी/सोसायटी और शक्ति वकील का मंजूर किया गया को इसका प्रबंधक, अधिकारियों या कर्मचारी लेन-देन करना पर इसका ओर से	उपयुक्त	उपयुक्त
5. पहचान दस्तावेज़ अर्थात ओवीडी का व्यक्ति पकड़े वकील को कारोबार- पर इसका ओर से	ना	ना
कोई भी का नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ है अनिवार्य		
5. नवीनतम लैंडलाइन बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
6. नवीनतम बिजली बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त
7. नवीनतम पानी बिल (नहीं अधिक बजाय 2 महीने पुराना)	ना	उपयुक्त

एचयूएफ

दस्तावेज़	कानूनी अस्तित्व सबूत	पता सबूत
प्रमाणित प्रतियां का प्रत्येक अगर अगले दस्तावेज़ या समकक्ष ई-दस्तावेज़ उसके करेगा प्राप्त किया जा सकता है		
1. कड़ाही का एचयूएफ, कर्ता और सभी सह Parceners	उपयुक्त	ना
2. सूची का सह Parceners	ना	ना

3. फोटो का कर्ता और सभी सह Parceners	ना	ना
4. मौजूदा पता सबूत का कर्ता और सभी सह Parceners	ना	ना
5.ओवीडी का कर्ता और सभी सह parceners	ना	उपयुक्त
6. काम का घोषणा का एचयूएफ	उपयुक्त	उपयुक्त
7. पता सबूत का एचयूएफ – वही जैसा व्यक्ति केवाईसी नीति	उपयुक्त	उपयुक्त

अध्याय VI - पहचान का लाभकारी मालिक

के लिए उद्घाटन एक खाता का एक कानूनी व्यक्ति कौन है नहीं एक प्राकृतिक व्यक्ति, लाभकारी मालिक करेगा होना पहचान की और सभी उचित कदम को सत्यापित करें उसका/उसकी पहचान करेगा होना कार्य शुरू रखते हुए में देखना अगले:

- जहां ग्राहक या नियंत्रण हित का स्वामी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है, वहां किसी शेयरधारक या कंपनी की पहचान की पहचान करना या उसका सत्यापन करना आवश्यक नहीं है। लाभकारी मालिक का ऐसा कम्पनियां.
- में मामला का ट्रस्ट/नामांकित व्यक्ति या ज़िम्मेदार व्यक्ति हिसाब किताब, चाहे ग्राहक है अभिनय पर ओर से का एक और व्यक्ति ट्रस्टी/नामिती या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति का निर्धारण किया जाना है। ऐसे मामलों में, इस बात का संतोषजनक प्रमाण होना चाहिए कि मध्यस्थों और जिन व्यक्तियों की ओर से वे कार्य कर रहे हैं उनकी पहचान, साथ ही मध्यस्थता की प्रकृति का विवरण भी। का विश्वास या अन्य व्यवस्था में जगह करेगा होना प्राप्त किया।

अगर कोई का ऊपर दस्तावेज़ हैं में कोई भाषा अन्य बजाय अंग्रेज़ी, यह अवश्य होना अनुवाद में अंग्रेज़ी।

अध्याय VII - संबंध सबूत

में आदेश को स्थापित करना संबंध बीच में आवेदक, सह-आवेदक या निजी निम्नलिखित गारंटर दस्तावेज़ चाहिए होना प्राप्त किया:

- शादी प्रमाणपत्र
- कड़ाही कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- वैध भारतीय पासपोर्ट
- मतदाता पहचान
- आधार कार्ड

प्रकार का रिश्ते योग्य अंतर्गत परिभाषा का "रिश्तेदार" इच्छा होना जैसा इस प्रकार है:

- जीवनसाथी
- पिता
- माँ
- भाई
- अविवाहित बहन
- बच्चा

अध्याय VIII - ग्राहक स्वीकार नीति ("सीएपी")

- कार्यान्वयन का टोपी चाहिए नहीं होना बहुत प्रतिबंधक और परिणाम में इनकार का कंपनी सेवा को सामान्य जनता।
- कंपनी है कठोरता से निषिद्ध को काम पर लगाना में कोई वित्तीय लेन-देन / खाता आधारित संबंध साथ ए ग्राहक, में गुमनाम या काल्पनिक / बेनामी नाम / इकाई (यें)।
- कंपनी करेगा स्वीकार करना ग्राहकों केवल डाक सत्यापन और की स्थापना पहचान का ग्राहक और इसका लाभदायक मालिक(ओं), अगर कोई भी। नहीं लेन-देन और / या खाता करेगा होना खोला / बंद किया हुआ बिना इस नीति के तहत निर्धारित ग्राहक उचित परिश्रम को प्रभावी बनाना। इससे पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक की पहचान किसी ज्ञात व्यक्ति से मेल नहीं खाती है। आपराधिक पृष्ठभूमि या जो व्यक्तिगत आतंकवादियों जैसे ज्ञात आपराधिक संगठनों से जुड़ा हुआ है या आतंकवादी संगठनों वगैरह।
- अनिवार्य जानकारी को होना ढूँढा गया के लिए केवाईसी उद्देश्य जबकि उद्घाटन एक खाता/पहले प्रवेश में ए लेन-देन और दौरान आवधिक अद्यतनीकरण, जैसा निर्दिष्ट में केवाईसी नीति
- खाता-आधारित संबंध / वित्तीय लेनदेन की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ ग्राहक को पहचान की पर अद्वितीय पहचान कोड स्तर।
- संयुक्त खाताधारकों के मामले में, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। के लिए सभी संयुक्त धारकों पहले उद्घाटन एक खाता।
- यदि ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो कंपनी यह सत्यापित करेगी कि ग्राहक है जरूरी अधिकार को करना इसलिए द्वारा scrutinizing प्राधिकार दस्तावेज़(दस्तावेज़ों)
- प्रलेखन आवश्यकताएं और अन्य जानकारी को होना एकत्र किया हुआ में आदर का अलग श्रेणियाँ का ग्राहकों को कथित जोखिमों और पीएमएलए तथा आरबीआई/कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर रहना होगा और निर्देश।
- यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त कर लिया गया है, तो उसे सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार सीमित। कंपनी चाहिए अनुसरण करना समान दृष्टिकोण के लिए जीएसटी/एमएसएमई प्रमाणपत्र। कहाँ ग्राहक से समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त होने पर, कंपनी डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगी प्रावधानों का जानकारी तकनीकी कार्य, 2000 (21 का 2000)।
- खाता खोलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति से वैकल्पिक/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाएगी।
- कंपनी करेगा नहीं खुला कोई खाता अगर वे असमर्थ हैं को सत्यापित करें पहचान का ग्राहक।
- कंपनी प्रस्तावित ग्राहक को जोखिम के आधार पर निर्धारित जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी। ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं के तहत धारणा। जोखिम धारणा के आधार पर, कंपनी लागू करेगी स्वीकार मानदंड के लिए प्रत्येक वर्ग का ग्राहकों।
- कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल न खाए, जिसका नाम प्रकट होता है में प्रतिबंध/ वर्जित सूचियों शामिल काल्पनिक सूची परिचालित द्वारा आरबीआई।

अध्याय IX - ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं ("सीआईपी")

कंपनी प्रत्येक नए ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगी इसके प्रवर्तकों और प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण, जहां भी लागू हो, चाहे नियमित हो या कभी-कभार और उद्देश्यव्यापारिक संबंध की इच्छित प्रकृति के बारे में।

केवाईसी मानदंड निर्धारित करने का निर्णय लेने का कार्य नहीं किया जाएगा। यदि कोई हो तो ऋण सुविधा की स्वीकृति के लिए आउटसोर्सिंग की जाएगी।

पहचान करेगा होना सत्यापित के लिए:-

- i. नाम खाता धारक;
- ii. लाभकारी मालिक;
- iii. हस्ताक्षरकर्ता को एक खाता; और
- iv. मध्यवर्ती पार्टियाँ।

ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं हैं को होना ले जाया गया बाहर पर अगले चरण:

- i. जबकि की स्थापना ए नया व्यापार संबंध;
- ii. समय-समय पर केवाईसी समीक्षा के भाग के रूप में या जब कंपनी को लगे कि खाते के आचरण या व्यवहार के आधार पर मौजूदा ग्राहकों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की जाएंगी और कंपनी के पास रखी जाएंगी, जिसमें एक जिम्मेदार कंपनी अधिकारी को ऐसी प्रतियों को प्रमाणित करना होगा कि उनकी मूल प्रतियों का सत्यापन कर लिया गया है।

कंपनी पर्याप्त रूप से संतुष्ट होगी प्रत्येक नए ग्राहक द्वारा ग्राहक की पहचान और खरीद के उद्देश्य के संबंध में दी गई जानकारी कंपनी के साथ संबंध की इच्छित प्रकृति।

सूचना के संबंध में कंपनी की संतुष्टि/ दस्तावेज सुसज्जित द्वारा ग्राहकों चाहिए होना ऐसा वह अगर परिस्थितियाँ आवश्यकता, कंपनी करेगा सुनिश्चित करना कि वह सक्षम प्राधिकारियों को यह संतुष्टि देने की स्थिति में है कि कंपनी द्वारा सी.डी.डी. का विधिवत् पालन किया गया था, जोखिम प्रोफाइल/वर्गीकरण का ग्राहक।

जैसा कहा गया मैं ग्राहक स्वीकार नीति, कंपनी दस्तावेजों के माध्यम से ग्राहक की पहचान सत्यापित करके यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है और आवश्यक जांच भी करेगा, ताकि ग्राहक की पहचान की पुष्टि की जा सके। दस्तावेज प्राप्त किया जाना चाहिए और यह होना चाहिए नहीं मिलान साथ कोई व्यक्ति साथ जात अपराध।

जिन प्रस्तावों पर किसी अन्य व्यक्ति की गारंटी है, उनके संबंध में भी पर्याप्त जानकारी ली जाएगी। गारंटी।

इसके अलावा, खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहक से एकत्रित की गई जानकारी भी सत्यापित होनी चाहिए। गोपनीय रखा जाएगा और इसका कोई भी विवरण क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मांगी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ग्राहक से प्राप्त जानकारी प्रासंगिक है जोखिम रहित है, दखलंदाजी नहीं है, तथा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। कोई अन्य जानकारी से ग्राहक चाहिए होना ढूँढा गया खाता खोलने के बाद उसकी सहमति से अलग से भुगतान किया जा सकेगा।

अध्याय X - जोखिम प्रबंध

जोखिम वर्गीकरण का ग्राहकों करेगा होना कार्य शुरू पर आधार का विभिन्न कारक, ऐसा जैसा प्रकृति का रोजगार, ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधि, ग्राहक और उसके ग्राहकों का स्थान, भुगतान का तरीका, मात्रा का कारोबार, सामाजिक/ वित्तीय स्थिति और श्रेय इतिहास।

कंपनी अपने विवेक से अतिरिक्त कारकों की पहचान कर सकती है जिनका उपयोग वह ग्राहक स्वीकृति के लिए करना चाहती हो। कंपनी द्वारा निर्धारित जोखिम प्रोफाइल के आधार पर। कंपनी अपने ग्राहकों को 'उच्च जोखिम / मध्यम जोखिम / कम जोखिम' अनुसार तक जोखिम महसूस किया। कंपनी मई चिंतन करना प्रक्रियाओं के लिए सृजन जोखिम अपने मौजूदा और नए ग्राहकों की प्रोफाइल की जांच करना और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न धन शोधन रोधी उपाय लागू करना। जोखिम शामिल में वित्तीय लेन-देन या ए व्यापार संबंध।

(A). उच्च जोखिम – वर्ग ए ग्राहकों

उच्च जोखिम ग्राहकों आम तौर पर शामिल करना:

- अनिवासी ग्राहकों
- उच्च जाल लायक व्यक्तियों बिना एक पेशा रास्ता अभिलेख का अधिक बजाय 3 साल
- विश्वास, दान देने की संगठन, गैर सरकार संगठन (एनजीओ), संगठनों प्राप्तदान
- कंपनियों होना बंद करना परिवार शेयर होल्डिंग या लाभदायक स्वामित्व;

- फर्मों साथ सोना भागीदार
- राजनीतिक अनावृत व्यक्तियों (पीईपी) का भारतीय/ विदेश मूल;
- गैर चेहरा को चेहरा ग्राहकों
- व्यक्ति साथ संदिग्ध प्रतिष्ठा जैसा प्रति जनता जानकारी उपलब्ध

(B). मध्यम जोखिम – वर्ग बी ग्राहकों

मध्यम जोखिम ग्राहकों आम तौर पर शामिल करना:

- वेतनभोगी आवेदक साथ चर आय/ असंरचित आय प्राप्त वेतन में जाँच करना
- वेतनभोगी आवेदक कार्यरत साथ निजी सीमित कम्पनियां, मालिकाना, साझेदारी कंपनियों
- खुद- कार्यरत पेशेवरों अन्य बजाय उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों
- स्वनियोजित ग्राहकों साथ आवाज़ व्यापार और लाभदायक रास्ता अभिलेख के लिए ए उचित अवधि
- एचएनआई साथ पेशा रास्ता अभिलेख का अधिक बजाय 3 साल

(C). कम जोखिम – वर्ग सी ग्राहकों

कम जोखिम वाले ग्राहक वे व्यक्ति (उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को छोड़कर) और संस्थाएं हैं जिनकी पहचान और धन के स्रोतों का खुलासा किया जा सकता है। आसानी से पहचाने जाने वाले और अन्य सभी व्यक्ति जो उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। कम जोखिम वाले ग्राहक मई शामिल करना अगले:

- वेतनभोगी कर्मचारी साथ अच्छी तरह से परिभाषित वेतन संरचनाएं के लिए ऊपर 5 वर्ष, लोग कार्यरत साथ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ, नियामक और वैधानिक निकाय, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, रेटेड कंपनियाँ सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयाँ, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ आदि।

किसी मौजूदा ग्राहक या किसी के लाभकारी मालिक की स्थिति में मौजूदा खाता बाद में पीईपी बनने पर, कंपनी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करेगी ऐसे मामलों में निदेशकों को ऐसे व्यक्ति के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने तथा यह भी दायित्व लेना होगा कि बढ़ाया निगरानी जैसा बताए गए और निर्दिष्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में।

- लोग संबंधित नहीं को निचला आर्थिक स्तर का समाज किसका हिसाब किताब दिखाओ छोटा शेष और कम कारोबार
- लोग कार्यरत साथ जनता क्षेत्र इकाइयाँ
- लोग कार्यरत साथ प्रतिष्ठित जनता सीमित कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों

अनुपालन में यह संबद्ध करेगा होना रखना ऊपर पहले तख्ता का कंपनी पर ए नियत कालीन आधार.

- कंपनी करेगा ढोना बाहर 'धन लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन' समय-समय पर धन शोधन की पहचान, आकलन और उसे कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए अभ्यास करना ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेन-देन या वितरण के लिए आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम चैनल, आदि। कंपनी जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करेगी। जोखिम की पहचान की जाएगी और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होंगी। कंपनी करेगा निगरानी करना कार्यान्वयन का को नियंत्रित करता है और बढ़ाना उन्हें अगर आवश्यक।
- कंपनी द्वारा एमएल और टीएफ जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और यह अनुरूप होगा कंपनी की

प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि। इसके अलावा, दौरा का जोखिम आकलन व्यायाम इच्छा होना कार्य शुरू प्रतिवर्ष (जब तक ए कम समय अवधि है जोखिम मूल्यांकन के परिणाम के अनुरूप कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित) व्यायाम।

- कंपनी द्वारा एमएल और टीएफ जोखिम मूल्यांकन का परिणाम बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। निदेशक या निदेशक मंडल की कोई समिति जिसे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो। एम.एल. और टीएफ जोखिम आकलन इच्छा होना बनाया उपलब्ध को सक्षम और आत्म विनियमन शरीर, अगर आवश्यक।

अध्याय XI - निगरानी का लेनदेन

किसी संगठन की प्रभावी KYC प्रक्रियाओं के लिए निरंतर निगरानी एक आवश्यक तत्व है। लेन-देन की निगरानी और उसकी सीमा खाते के जोखिम प्रोफाइल और जोखिम संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। कंपनी ग्राहक की सामान्य और उचित गतिविधि को समझने का प्रयास किया जाता है ताकि गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर होने वाले लेन-देन की पहचान की जा सके। सभी जटिल और असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्यमान वैध उद्देश्य नहीं है।

कंपनी सामान्यतः करता है नहीं और चाहेंगे नहीं पास होना बड़ा नकद लेनदेन. तथापि, यदि और जब नकद दस लाख रुपये और उससे अधिक के लेन-देन किए जाने पर, कंपनी ऐसे सभी लेन-देनों का उचित रिकॉर्ड रखेगी। नकद लेनदेन में ए अलग पंजीकरण करवाना बनाए रखा पर इसका कार्यालय। कंपनी करेगा तत्काल प्रतिवेदन ऐसा उच्च नकद लेनदेन या संदिग्ध प्रकृति के लेनदेन का मूल्यांकन उचित नियामक और जांच अधिकारियों को करना, जैसा प्रति प्रावधानों का पीएमएलए और नियम।

अध्याय XII -- जारी देय परिश्रम

कंपनी लेन-देन/ग्राहक खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करेगी और कंपनी को छह महीने में कम से कम एक बार की अवधि पर उचित परिश्रम के उपाय लागू करने की आवश्यकता है। ग्राहक की पृष्ठभूमि, मूल देश, धन के स्रोतों के आधार पर ऐसे खातों के लिए प्रमुख संकेतक भी निर्धारित किए जाएंगे। धन, प्रकार का लेनदेन शामिल और अन्य जोखिम कारकों कौन करेगा ठानना क्षेत्र का निगरानी.

विपणन फर्मों के खातों में लेनदेन, विशेष रूप से मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियों के खातों में लेनदेनहोना निकट से निगरानी की गई।

अध्याय XIII - आवधिक अपडेशन

कंपनी केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का पालन करेगी। उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए कम से कम हर दो साल में एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर आठ साल में एक बार और प्रत्येक दस वर्ष में एक बार, कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए खाता आधारित संबंध/अंतिम केवाईसी में प्रवेश की तिथि से अद्यतनीकरण .

आवधिक अद्यतनीकरण प्रक्रिया इच्छा होना में अनुसार साथ केवाईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश।

अध्याय XIV - आंतरिक नियंत्रण सिस्टम/सॉफ्टवेयर

कंपनी का आंतरिक अनुपालन कार्य इच्छा मूल्यांकन करना और सुनिश्चित करना केवाईसी नीतियों का पालन और प्रक्रियाएं। एक सामान्य नियम के रूप में, अनुपालन कार्य कंपनी की एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करेगा कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं सहित अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करें। कंपनी का प्रबंधननिदेशक मंडल की देखरेख में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अनुपालन पर्याप्त रूप

से किए जा रहे हैं। केवाईसी प्रक्रियाओं के आवेदन की विशेष रूप से जांच और सत्यापन करना और उस पर टिप्पणी करना आवश्यक है। इस संबंध में खामियां पाई गईं..

अध्याय XV -- अभिलेख रखते हुए

कंपनी इच्छा लेना अगले कदम के संबंध में रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग का ग्राहक खाता जानकारी, साथ संदर्भ प्रावधानों के लिए का पीएमएलए कार्य और नियम:

- कंपनी और ग्राहक के बीच हुए लेन-देन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड कम से कम पांच वर्षों तक बनाए रखें लेन-देन की तारीख से.
- ग्राहकों की पहचान से संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखें और खाता खोलते समय और व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त उनके पते, कम से कम कम से कम पाँच साल बंद होने के बाद व्यापार संबंध।
- बनाना उपलब्ध पहचान अभिलेख और लेन-देन डेटा को सक्षम अधिकारियों ऊपर अनुरोध।
- सुनिश्चित करना ए उचित प्रणाली का पीएमएल नियमों के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना, 2005 जो लेनदेन के अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है।
- बनाए रखना सभी ज़रूरी जानकारी में आदर का लेनदेन निर्धारित में नियम 3 का पीएमएल नियम:
 - प्रकृति का लेनदेन
 - मात्रा का लेन-देन और मुद्रा में कौन यह था नामित
 - तारीख पर कौन लेन-देन था संचालित
 - पार्टियाँ को लेन-देन, विशेष रूप से दस्तावेज़ के लिए पहचान का लाभदायक मालिक
 - बनाए रखना अभिलेख का पहचान और पता का उनका ग्राहक, और अभिलेख में आदर का लेनदेन में पीएमएलए नियम में मुश्किल या कोमल प्रारूप

सभी संदिग्ध लेन-देन, चाहे वे नकद में किए गए हों या नहीं, तथा पीएमएल नियमों में उल्लिखित तरीके से किए गए हों या नहीं। सरकार का भारत अंतर्गत पीएमएलए.

अध्याय XVI - रिपोर्टिंग पर फिननेट पोर्टल और रिपोर्टिंग को वित्तीय बुद्धिमत्ता इकाई -भारत रिपोर्टिंग पर फिननेट पोर्टल

कंपनी बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशक को वित्तीय खुफिया इकाई - भारत (एफआईयू-इंड) में संदर्भित जानकारी उपलब्ध कराएगी। पीएमएल (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार उसके नियम 7 के अनुसार। कंपनी को ध्यान रखना चाहिए रिपोर्टिंग प्रारूप और विस्तृत रिपोर्टिंग का प्रारूपण मार्गदर्शक निर्धारित/जारी द्वारा एफआईयू-आईएनडी और रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी और रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी को रिपोर्टिंग संस्थाओं को निर्धारित तैयारी में सहायता के लिए विकसित किया गया है रिपोर्ट। कंपनी फिननेट पोर्टल पर पंजीकरण करेगी, साथ ही प्रधान अधिकारी के पंजीकरण के लिए वचनबद्धता भी देगी और नामित निदेशक। कंपनी द्वारा रिपोर्ट केवल ऑनलाइन मोड में ही दाखिल की जाएगी। प्रधान अधिकारी में कोई भी बदलाव और मनोनीत निदेशक को चाहिए होना प्रभावित पर फिननेट पोर्टल द्वारा कंपनी अंदर एक महीना से तारीख का ऐसा परिवर्तन। कंपनी के प्रधान अधिकारियों, जहां शाखाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, के पास उपयुक्त होना चाहिए व्यवस्था को पुकारना बाहर लेन-देन विवरण से शाखाओं कौन हैं नहीं अभी तक कम्प्यूटरीकृत.

अध्याय XVII - रिपोर्टिंग को वित्तीय बुद्धिमत्ता इकाई – भारत (एफआईयू-आईएनडी)

प्रधान अधिकारी नकदी और संदिग्ध लेनदेन से संबंधित जानकारी, यदि पता चले तो, निदेशक, वित्तीय को रिपोर्ट करेगा। इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (एफआईयू-इंड) को पीएमएल नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में डिजाइन और प्रस्तुत करना होगा। परिचालित द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक पर अगले पता साथ में ज़रूरी ऑनलाइन फाइलिंग:

निदेशक,

वित्तीय बुद्धिमत्ता इकाई – भारत, 06^{वाँ} ज़मीन, होटल सम्राट,
कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नया दिल्ली – 110021, भारत।

कंपनी करेगा बनाए रखना कठोर गोपनीयता में प्रस्तुतीकरण/ रिपोर्टिंग विवरण का संदिग्ध लेनदेन.

अध्याय XVIII - केन्द्रीय जानना आपका ग्राहक रजिस्ट्री

कंपनी केंद्रीय द्वारा बनाए गए केंद्रीय अपने ग्राहक को जानें रजिस्ट्री ["सीकेवाईसीआर"] पर खुद को पंजीकृत करेगी भारतीय प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री ["सीईआरएसएआई"] के प्रयोजनों के लिए बंटवारे केवाईसी डेटा। कंपनी करेगा सुनिश्चित करना वह केवाईसी डेटा है नियमित रूप से साझा / सत्यापित से सीकेवाईसीआर.

अध्याय XIX - के.वाई.सी. में मामला का टॉप-अप/नवीनीकरण

टॉप-अप/नवीनीकरण के मामले में, यदि शेरधारिता में कोई परिवर्तन होता है तो आईएफएसपीएल नए केवाईसी दस्तावेज एकत्र करेगा संरचना/साझेदारी व्यवस्था, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, पता, आदि। परिवर्तन के मामले में, नए केवाईसी दस्तावेज लाभार्थी स्वामियों/आवेदकों/सह-आवेदकों/गारंटर्स से वसूला जाना है। नवीनीकरण के दौरान ग्राहक संशोधित जमा कर सकते हैं तय करना का दस्तावेज के माध्यम से वी-केवाईसी, के लिए ऊपर परिवर्तन.

अध्याय XX - स्व-सत्यापन मानदंड

सभी दस्तावेज चाहिए होना स्व अभिप्रमाणित द्वारा आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर्स को किसको दस्तावेज संबंधित है।

यदि दस्तावेज 5 पृष्ठों से अधिक के हों तो ग्राहक द्वारा केवल उसी दिन स्व-सत्यापन आवश्यक है। पहला और अंतिम पेज का दस्तावेज।

अध्याय XXI -- OSV मानदंड

यदि केवाईसी दस्तावेजों को संबंधित पोर्टल जैसे पैन, जीएसटी, एमएसएमई आदि के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है, तो ओएसवी की आवश्यकता नहीं है अन्यथा, ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज (आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर्स के लिए) देखे जाने चाहिए मूल और आईएफएसपीएल कर्मचारी द्वारा सत्यापित, जिसमें कर्मचारी संख्या, यात्रा की तारीख और हस्ताक्षर/सोर्सिंग चैनल शामिल हो भागीदार जो मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है। वी-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान, ग्राहक अपने कब्जे को दिखाता है का मूल दस्तावेज और नहीं जरूरत होना कोई ओएसवी.

सभी केवाईसी दस्तावेजों और उन दस्तावेजों के लिए ओएसवी अनिवार्य है जिनकी मूल प्रति सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। दस्तावेज कौन नहीं सकता होना उत्पादन में मूल हैं वित्तीय, आईटीआर वगैरह।

सोर्सिंग चैनल भागीदारों की सूची संबंधित व्यवसाय लाइन, केंद्रीय एमआईएस संसाधनों द्वारा बनाए रखी जानी चाहिए और इसे परिचालित को सभी दांव धारकों.

अध्याय XXII - नियुक्ति का कर्मचारी और कर्मचारी प्रशिक्षण

कंपनी है एक पर्याप्त स्क्रीनिंग तंत्र जैसा एक अभिन्न भाग का उनका कार्मिक भर्ती/नौकरी पर रखना।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है, कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा में एमएल/सीएफटी नीति। केंद्र का प्रशिक्षण होना अलग के लिए सीमावर्ती कर्मचारी, अनुपालन कर्मचारी और कर्मचारी व्यवहार साथ

नया ग्राहकों.

अध्याय XXIII - अन्य आवश्यकताएं:

केवाईसी निर्देशों के तहत उल्लिखित अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए), नामित अधिकारी/निदेशक, प्रिंसिपल की नियुक्ति से संबंधित सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस), पीएमएल, एफआईयू-इंड संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), नकद लेनदेन भरने से संबंधित अधिकारी और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं रिपोर्ट (सीटीआर), नकली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) और एफएटीसीए के तहत भरी जाने वाली अन्य लागू रिपोर्टों का अनुपालन किया जाएगा साथ में शर्तों का केवाईसी दिशा का भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य अधिकारियों को क्षेत्र उपयुक्त को कंपनी।

बंटवारे का जानकारी साथ आदर को केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) इच्छा होना में अनुसार साथ निर्धारित ढंग।

अध्याय XXIV - विचलन

समय की बचत तथा तीव्र गति से निर्णय लेने के लिए, इस नीति की किसी भी शर्त में परिवर्तन सीईओ द्वारा किसी एक निदेशक के साथ मिलकर किया जा सकता है, बशर्ते कि आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए तथा आगामी बोर्ड बैठक में इस पर ध्यान दिया जाए।

अध्याय XXV - बेजोड़ता

इस नीति या कंपनी की किसी अन्य नीति के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अंतिम बार अनुमोदित नीति ही मान्य होगी और कंपनी की किसी नीति और आरबीआई विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के बीच किसी भी असंगति या संघर्ष की स्थिति में, आरबीआई विनियम/परिपत्र/दिशानिर्देश/अधिसूचनाएं ऐसी असंगति की सीमा तक तब तक मान्य होंगी जब तक कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अद्यतन नीति को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

अध्याय XXVI -- नीति की समीक्षा

यह नीति करेगा होना की समीक्षा द्वारा तख्ता का निदेशक वार्षिक आधार पर आधार. आगे, यह नीति करेगा होना अनुमत/ संशोधन द्वारा तख्ता का निदेशक, आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, निर्देशों और अनुदेशों सहित लागू कानूनों के अधीन होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, और नीति के पहले के संस्करण का स्थान लेंगे।

अनुपालन टीम नीति में परिवर्तन या संशोधन का सुझाव दे सकती है तथा उसे अनुमोदन एवं अपनाने के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

अध्याय XXVII – प्रभावी तिथि

यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी तथा नीति के अनुमोदन के बाद या उसके बाद होने वाली सभी प्रासंगिक गतिविधियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।